कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी पंधाना

क्रमांक 882/रीडर/भू.अ./18 — पंधाना दिनांक 7.9.18

प्रति,

निर्यत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल

विषय :– "आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिका 11(1)" के तहत सार्वजनिक सूचना का म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत्।
प्रकरण कं. 11/अ–82/2017–18 ग्राम जामली राजगढ तहसील पंधाना

000000

"आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिका 11(1)" के तहत सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग–1 में होना है। कलेक्टर जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक सूचना की दो प्रतियां (एक मूल प्रति एवं एक फोटो प्रति) आप की ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

सहपत्र :– 02 प्रतियां।

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी पंधाना

पृ0 कमांक 883/रीडर/भू.अ./18 — पंधाना दिनांक 7.9.18

प्रतिलिपि :–

1. संचालक जन संपर्क संचालनालय म.प्र. की ओर सार्वजनिक सूचना की चार प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन करवाकर इसकी एक एक प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक सूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3. तहसीलदार पंधाना की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि एक एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणीकरण के 8 दिवस में वापिस भिजवाने की व्यवस्था करें।

1. कलेक्टर कार्यालय नोटीस बोर्ड
2. एस.डी.ओ. कार्यालय पंधाना नोटीस बोर्ड
3. तहसील कार्यालय पंधाना नोटिस बोर्ड
4. ग्राम पंचायत जामली राजगढ नोटीस बोर्ड

4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं गजट तथा पेपर प्रकाशन प्रति संकलित कर पेश करने हेतु।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू–अर्जन अधिकारी पंधाना

कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्र. 84 /2018/एलए/ खण्डवा, दिनांक

रा.प्र.क्र.10 /अ-82/2018-19 जामली राजगढ़

// सार्वजनिक सूचना //

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की **"आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति"** जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को अर्दला तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम जामली राजगढ़ की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र–ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका–11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत निजी भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को निजी भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय किये जाने वाली निजी भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील पंधाना, पटवारी हल्का नं. 34, ग्राम जामली राजगढ़ राजस्व निरीक्षक मण्डल पंधाना

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हें. में.	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राहूल पिता प्रेमलाल, रितेश पिता प्रेमलाल निवासी इन्दौर	252/1	3.21	1.20	1.20	निरंक	निरंक

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर
जिला खण्डवा (म.प्र.)

Sarvajnik Suchana (Jamli Rajgarh) Dt. 16.08.18 / Divya / doc.